# कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर

क्रमांक / ग्वा.वि.प्रा. / आनन्द नगर / सम्पदा / २०२० / १२७७८ रेरा पंजीयन क्र. / पी-ग्वा.-18-1821

ग्वालियर दिनांक 30 12 2020

# विज्ञप्ति चतुर्थ

ग्वालियर विकास प्राधिकरण आनन्द नगर योजना में निर्मित ई.डब्लू.एस. इकाईयों (फ्लेट्स) हेतु पंजीयन आवेदन आमंत्रति किये जाते हैं :--

ग्वालियर विकास प्राधिकरण की आनन्द नगर योजनान्तर्गत निर्मित ई.डब्लू.एस. इकाईयों (फ्लैट्स) के पंजीयन हेत् निम्नलिखित तालिका अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं. जिसका विवरण निम्नानसार है :-

स.क्र.	इकाई का विवरण	सख्या	आरक्षण की स्थिति		प्रत्येक इकाई का बिल्टअप एरिया	फ्लेट इकाई की कीमत	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	वार्षिक पट्टा भाड़ा
			अनारक्षित	अ.ज.जा.	वर्गमीटर में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ई.डब्लू.एस. फ्लेट्स	04	फ्लेट क्र.207, 307,407	फ्लेट क्र.107	32.50	9,21,375 / -	यथानियम	यथानियम

उपरोक्त सम्पत्तियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रपत्र एक्सिस बैंक, एस.डी.एम. रोड, अचलेश्वर मन्दिर के पास लश्कर ग्वालियर की शाखा से विहित राशि रुपये 1000/— + 180/— जी.एस.टी. का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / नगद राशि जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा प्रपत्र को ऑनलाईन द्वारा प्राधिकरण की बेवसाईट एहकहूसपवतण्पद से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका रुपये 1000 / – + 180/— जी.एस.टी. का बैंक ड्राफ्ट आवेदन प्रपत्र के साथ ब्ब्यू ळवाए ळूंसपवत के नाम से पृथक से देय होगा। उपरोक्त रजिस्ट्रीकरण की दिनांक 04.01.21 से दिनांक 30.01.21 का अपरान्ह 5.00 बर्ज तक निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रीकरण हेतु निबंधन तथा शर्तें, प्रपत्र में दर्शाई गई हैं तथा प्राधिकरण की बेवसाईट पर भी अवलोकन किया जा सकता है। प्राप्त आवेदन का परीक्षण उपरांत पात्र होने पर एवं संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन लॉटरी पद्धित द्वारा दिनांक 06.01.2021 को किया जायेगा। (समय 12:00 बजे) नोट :-

- पंजीयन राशि नियत मूल्य का 10: डी.डी. / बैंकर्स चैक द्वारा जो कि मुख कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नाम देय होगा, आवेदन के साथ जमा कराना अनिवार्य हागा। उपलब्ध संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन लॉटरी पद्धति द्वारा किया जावेगा। जिसमें आवेदनकर्ता उपस्थित रह सकते है।
- 2.
- आवेदनकर्ता पर शासन के व्ययन नियम 2018 एवं समय—समय पर जारी आदेश व प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावशील रहेंगे।
- परिसर के रख-रखाव/संधारण शुल्क आवंटन दिनांक से प्रभावशील होगा, जिसका भुगतान आवेदनकर्ता को विक्रय विलेख/पट्टाविलेख से पूर्व जमा करना होगा।
- व्ययन नियम 2018 के भाग तीन में नियम 11 अनुसार विक्रीत सम्पत्ति पूर्ण विकसित अथवा निर्मित होने से एक मुश्त राशि के भुगतान पर आवंटित की जावेगी। यदि आवेदनकर्ता द्वारा एक मुश्त राशि न देते हुये किश्तों पर भुगतान के सम्बन्ध में कार्यालय को आवंदन प्रस्तुत करता है तो उसके आवेदनानुसार ऐसी किश्तों पर अधिकतम आठ त्रैमासिक किश्तों में भुगतान किया जावेगा और किश्तों पर अधिकतम ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित ऋण दरों में से दो प्रतिशत जोड़कर निर्धारित की जायेगी।
- नियमानुसार जी.एस.टी. शुल्क देय होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर

### प्रतिलिपि :-

- 1. निज सचिव मान. अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 2. निज सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 3. लेखा अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 4. जनसंपर्क अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर की ओर व्ययन नियम—2018 अनुसार निविदा प्रकाशन एवं उपरोक्त विज्ञापन प्राधिकरण की बेवसाईट पर समस्त अभिलेख के साथ अपलोड करने हेतु।
- 5. साईट इंचार्ज **आनन्द नगर योजना** की ओर सूचनार्थ।
- 6. कार्यालय किमश्नर ग्वालियर/कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर/कार्यालय किमश्नर नगर निगम/तहसीलदार, तहसील कार्यालय ग्वालियर की ओर भेजकर निवेदन है कि निविदा को नोटिस बार्ड पर चस्पा कराने की कृपा करें।
- कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 8. प्रबंधक, एक्सिस बैंक, एस.डी.एम. रोड, जी.वाय.एम.एस. ग्राउण्ड, अचलेश्वर मन्दिर के पास, लश्कर ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9. श्री भास्कर राव काले, प्रभारी मानचित्रकार की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क कर उक्त विज्ञापन प्राधिकरण की बेबसाईट पर अपलोड कराकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर

### प्ररूप–ट

# ( नियम 8 (2) (छह) देखिए )

आवेदन	ा क्रमांक						श्रेणी	
संलग्न 1. 2. 3. 4. 5.	किये जाने वाले दस्तावेज विधिवत रूप से भरा गया छायाचित्र (फोटोग्राफ) शपथ-पत्र (।िपिकंअपज) आय प्रमाण पत्र (प्दबवउम आरक्षण के संबंध में प्रमाण	ं आवेदन प । । ब्मतजपपि	ंजम)	(सत्यप्रतिलिपि में)				
				<u>ग्वार्</u>	लेयर विकास प्राधिकरण	ग्वालियर		
				आनन्द नगर योजना	में ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट इ	काइयों हेत् आवेदन प्रप	पत्र	
विज्ञापन	न क्रमांक				· · · · · ·	· •		दिनांक
								न प्रपत्र क्रमांक
					T		मूल्य 1000 /	'— एवं जी.एस.टी. शुल्क रू. 180/—
प्रति,				अहस्तान्तरणाय (1	on Transferable).			
	मुख्य कार्यपालन अधिकार्र ग्वालियर विकास प्राधिकर ग्वालियर (मध्य प्रदेश)						आवेदक का पासपोट आकार का छाया चित्र यहां चिपकाय जाए	
महोदय,							311 \$	
है। 1.	निवेदन है कि विज्ञापन इ आवेदक का नाम	क्रमांक :	दिनांक 	के आधार पर मुझे पट	ट्टे पर निम्न भूखण्ड / ईकाइ	आवंटित करने का कष्ट	ट करें। अपेक्षित जानकारी	निम्नानुसार भर कर प्रस्तुत की जा रही
2.	पिता / पति का नाम		:					
	,	:						
3.	9		***************************************					
4.	पूरा पता		;	दूरभाष / मोबाईल		(निवास)		
5.	कुल मासिक आय रूपये			:				
6.	यदि नियोजित हो, तो नि	योजक का	नाम :					

7.	सेवा की अवधि	÷			
8.	यदि निजी व्यवसाय	÷			
	में हैं, तो उसका ब्यौरा दूरभाष	क्र. निवास दूरभाष (कार्याल	य)मो.नं		
9.	निबंधन तथा शर्तो के अनुसार	:			
	शपथ पत्र संलग्न है				
10.	आवेदन–प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में बैं	क ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक क्र	दिनांक	वैंक का नाम	राशि
11.	मैं आश्वासन देता / देती हूं कि यदि मेरा आवे वार्षिक पट्टा भाड़ा भुगतान तिथि को नियमित		मैं भूखण्ड / इकाई की बकाया	अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान निध	र्घारित समय पर जमा कर दूंगा/दूंगी तथ
12.	मैं आश्वासन देता / देती हूं कि मैं शासन तथा	प्राधिकरण द्वारा, समय–समय पर बनाये ग	ाये नियमों / विनियमों का पालन	न करूंगा / करूंगी।	
13.	मैंने प्राधिकरण के भूखण्ड / इकाई के आवंटन	से संबंधित निबंधन, शर्तो तथा नियमों को	समझ लिया है तथा ये मुझे स्व	वीकार है।	
14.	यदि आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत की गई कोई ज अधिकार होगा।	गानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो प्राधिक	ज्रण को मेरे आवेदन प्रपत्र के	ो निरस्त करने तथा जमा की गई	पंजीयन राशि का समपहृत करने का पूर
अनुलग्	नक :				
1.	आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में रू.	. 1000 / — एवं जी.एस.टी. शुल्क 180 / -	- का ड्राफ्ट /बैकर्स चैक क.	दिनांक	बैंक का नाम
<ol> <li>3.</li> </ol>	पंजीयन हेतु ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक क्रमांक निबंधन तथा शर्तो की हस्ताक्षरित प्रति	તારાહ્યજાપય			
4.	शपथ-पत्र				
5.	आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)				
6.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्र	माण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि आव	श्यक हो)		
(	उपरोक्त में जो लागू नही हो उसे काट दिया ज	ताय ।)			

(आवेदक के हस्ताक्षर)

## नियत दर पर सम्पत्तियों के व्ययन संबंधी निबंधन तथा शर्ते (Terms and Conditions for Disposal of Properties on Fixed Rate)

#### 1. सामान्य शर्ते (General Terms)

- 1. व्ययन के लिए उपलब्ध सम्पत्तियों (परिसम्पत्तियों) से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर फ्लैटों / इकाईयों को लाटरी के आहरण अनुसार आवंटित किया जाएगा।
- 2. सम्पत्ति के आवंटन हेतु आवेदक को अपना आवेदन प्रपत्र विहित प्ररूप में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र विज्ञापन में उल्लेखित समय सीमा के भीतर ही पस्तुत किया जा सकेगा।
- 3. विज्ञापन के अधीन फ्लैटों / इकाइयों के कमांक का आवंटन लॉटरी द्वारा संपन्न किया जाएगा।
- 4. एक परिवार (जिसमें पित/पत्नी/अवयस्क बच्चे हो) से केवल एक आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि पित तथा पत्नी में से केवल एक को ही आवेदन करने की पात्रता होगी। इस निबंधन तथा शर्त के किसी उल्लघंन किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त आवेदनों को निरस्त किया जा सकेगा।
- 5. सम्पत्ति के लिए आवेदक को यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके/उनके द्वारा प्राधिकरण की किसी योजना के अंतर्गत इससे पूर्व नियत दर पर कोई फ्लैटों/इकाई की प्राप्ति नहीं की गई है।
- 6. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता हो तो उस दशा में उसे इस बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचना उपलब्ध करानी होगी।
- 7. यदि कोई अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आवेदन हेतु नियत अन्तिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन वापस ले लेता है तो आवेदक द्वारा जमा की गई राशि में से दस प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात आवेदक को शेष राशि लौटा दी जाएगी। पंजीयन स्वीकार किये जाने हेतु लॉटरी का आहरण किये जाने की प्रक्रिया के बाद सम्पत्ति का प्रावधिक आवंटन हो जाने पर, आवेदन के साथ जमा पंजीयन राशि वापस नहीं की जाएगी तथा जमा की गई राशि को समपहत कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सूरक्षित रहेगा।

### दो भुगतान की शर्ते (Payment Terms)

- 1— सफल आवेदक के पंजीयन की स्वीकृति के बाद बकाया किश्तों के मांग पत्र में उल्लेखित समय—सीमा में निर्धारित किश्तों की राशि जमा करानो होगी।
- 2— आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की राशि तथा एक वर्ष का लीजरेंट जमा करने क पश्चात ही उसे आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
- 3— जहां सफल आवेदनकर्ता विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपरोक्तानुसार संदाय करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा पंजीयन राशि रकम को समपहृत कर सकेगा। जब तक कि प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार लिखित रूप में उक्त समय सीमा में वृद्धि नहीं की गई हो।
- 4—. पट्टाधारी (Lessee) अथवा हस्तांतरिती (Transferee) सरकार, नगर पालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी कानूनी निकाय द्वारा उदग्रहीत समस्त करों / शुल्कों / अभिकरों / प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तारीख से आधिपत्य को विचार में लिए बिना भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
- 5— व्ययन नियम 2018 के भाग 3 म नियम 11 अनुसार विकीत सम्पत्ति पूर्ण विकसित अथवा निर्मित होने से एक मुश्त राशि देय भुगतान पर आवंटित की जावेगी यदि आवेदनकर्ता द्वारा एकमुश्त राशि न देते हुऐ किश्तों पर भुगतान के सम्बन्ध में कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके आवेदन अनुसार ऐसी किश्तों पर अधिकतम आठ त्रैमासिक किश्तों में भुगतान किया जावेगा और किश्तों पर अधिकतम ब्याज की दर भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा <u>अधिसूचित / ऋण</u> दरों में दो प्रतिशत जोडकर निर्धारित की जावेगी।
- 6— किसी किस्त के भुगतान में विलम्ब होने पर आवंटिती को 5 प्रतिशत की दर से दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना होगा, जो उपरोक्त बिन्दु 5 में विनिर्दिष्ट किये गये 7 प्रतिशत की ब्याज दर के अतिरिक्त होगा। यदि किसी किस्त के भुगतान में की गई चूक 6 माह से अधिक की अवधि हेतु जारी रहती हो, तो प्राधिकरण का आवंटन प्रतिसंहरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तथापि, अदायगी अनुसूची के प्रत्येक उल्लघंन पर प्राधिकरण निरस्तीकरण के बदले में रू. 10000/— का अर्थदण्ड वसूल किये जा रहे ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज भुगतान के अतिरिक्त अधिरोपित कर सकेगा।

- 7— यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में सम्पत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम या अधिक पाया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा आनुपातिक रूप से कम या अधिक किया जाएगा।
- 8— सम्पत्ति का आवंटन किये जाने पर यदि प्राधिकरण सम्पत्ति का आधिपत्य किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आवंटिती को प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो प्राधिकरण द्वारा जमा रकम की वापसी सात प्रतिशत की ब्याज दर के साथ की जाएगी।

### तीन- सम्पत्ति को पट्टे पर प्रदान करने संबंधी निबंधन (Terms for Lease Property)

- 1. सम्पत्ति पट्टा आधार पर (स्मेंम ठेंपे) 30 वर्षों की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा (जब तक अन्यथा सरकारी सम्पित्तियों की दशा में ऐसी सम्पित्तियों के लिये जो प्राधिकरण के अंतर्गत निहित हो या जिनका प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा हो तथा जो विशिष्ट रूप से सामान्य/विशेष स्वीकित के अनुसार अथवा प्राधिकरण की किसी सम्पित्त के बारे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रित की जा रही है) जिनकी कालाविधयों का विस्तार 30 वर्षों की दो अतिरिक्त अविधयों के लिए किया जा सकेगा, जिसके अनुसार प्राधिकरण को वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रत्येक नवीनीकरण के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत वार्षिक पट्टा भाड़ा चार गुना तक वृद्धि करने का अधिकार होगा।
- 2. सम्पत्ति का वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रभारित अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 0.1 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा।
- 3. सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक पट्टा भाड़े का भुगतान प्रति वर्ष अग्रिम रूप से देय होगा तथा प्रति वर्ष एक जून को या इससे पूर्व किया जाएगा। प्रथम वार्षिक पट्टा भाड़ा उस वित्तीय वर्ष, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा आधिपत्य सौंपे जाने की तिथि अधिसूचित की गई हो, एक जून से देय होगा।
- 4. जहां पट्टाधारी द्वारा देय वार्षिक पट्टा भाड़ा रकम का भुगतान नियत तारीख से तीन माह से अधिक की अवधि हेतु लम्बित रहता है, वहां प्राधिकरण द्वारा वार्षिक पट्टा भाडा रकम की वसूली की प्रक्रिया भू राजस्व की बकाया रकम (Arrears of Land Revenue) के रूप में प्रारंभ की जा सकेगी।
- 5. सम्पत्ति का आधिपत्य "जैसा है जहां है" के आधार पर सौंपा जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया हो) तथा प्राधिकरण, भूमि/भूखण्ड पर किसी भराई (filling)/समतलन (levelling) के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- 6. आवंटिती को सम्पत्ति का आधिपत्य, अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष की अग्रिम वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का पूर्ण भुगतान के बाद ही सोंपा जाएगा (जब तक इस बारे में नियम 13 के अंतर्गत राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन द्वारा सम्पत्ति आवंटन के लिए विशेष स्थितियों में विशिष्ट उपबंध न कर दिया गया हो, जिससे पाधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया हो)।
  - 7. अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) द्वारा सम्पित्त के वास्तिवक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तिथि तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा सम्पित्त का पट्टा उक्त अधिसूचित तिथि से तथ्य पर विचार किए बिना प्रांरभ हो जाएगा चाहे आवंटिती द्वारा सम्पित्त का आधिपत्य किया गया हो अथवा नहीं।
  - 1. अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये निदर्शन पत्र के अनुसार आवंटिती द्वारा पट्टा विलेख (Lease Deed) / दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तत किया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से तीन माह के भीतर पट्टाधारी (Lease) अनिवार्यतः रिजस्ट्रार (Registrar) के कार्यालय से पट्टे को रिजस्ट्रीकृत कराना होगा। पट्टाधारी को पट्टा अभिलेख के रिजस्ट्रीकरण से संबद्ध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पट्टाधारी पट्टे के रिजस्ट्रीकरण से तीस दिन के भीतर पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कायालय में जमा करनी होगी।
- 9. पट्टाधारक, पट्टे की शर्तो के अधीन <mark>रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति को</mark> सम्पत्ति का अंतरण प्राधिकरण से अनापित्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कर सकेगा और उसे प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंतरण शुल्क की राशि जमा करना होगी, जो अंतरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन तिथि को प्रचलित प्रयोज्य मार्गदर्शक दर क 0.5 प्रतिशत होगी। जहां अतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यायगमन (natural devolution of heirship) के अनुक्रम में चाहा गया हो, वहां कोई अंतरण शुल्क देय नहीं होगा।
- 10. पट्टाधारी, को पट्टा विलेख के पंजीयन उपरांत प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर ऋण की प्राप्ति हेतु इकाई को बंधक (mortgage) रखने का अधिकार होगा।
- 11. पट्टाधारी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक है उसे प्राधिकरण को रू. 1000 / अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
- 12. ऐसे प्रकरण में जहां पट्टाधारी पट्टा विलेख की किसी शर्त का उल्लघंन करता हो, वहां प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति के पट्टे को रद्द किया जा सकेगा। पट्टे के रद्दकरण के पश्चात् प्राधिकरण को सम्पत्ति में पुनः प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

#### चार— आवंटित सम्पित्तयों के लिए विकास तथा भवन निर्माण विनियम (Development and Building Regulations for Allotted Properties)

- 1. आवंटित की गई सम्पत्ति के बारे में इसके अभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा। कोई भी निर्माण कार्य जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनाधिकृत कार्य माना जाएगा तथा ऐसे कृत्य को पट्टे की शर्तों का उल्लघंन माना जाकर, तद्नुसार संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की पहल की जाएगी।
- 2. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके अभिहित उपयोग से अन्यथा किया जाता है और / या कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शें का उल्लघंन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न किया जाता है तो प्राधिकरण को आवंटन / पट्टा रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियों में पट्टाधारी को किसी कानूनी अथवा कोई सरकारी अभिकरण द्वारा उस पर अधिरोपित किसी अर्थदण्ड का भुगतान भी करना होगा।
- 3. पट्टाधारी सेवा संबंधी आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों / प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगरपालिकनिगम / नगरपालिक परिषद् अथवा सेवाप्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जल प्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में जहां आवंटित सम्पित्त ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां पट्टाधारी नगर पालिक निगम / नगर पालिक परिषद के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
- पट्टाधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

#### पांच- आवंटन का अन्तरण (Transfer of Allotment)

संपत्ति के आवंटन का अंतरण सम्पत्ति आवंटन तारीख से छह माह की अवधि के समाप्त होने के पश्चात ही किया जा सकता है आरक्षित श्रेणी क अधीन आवंटित की गई सम्पत्तियों के बारे में अन्तरण, केवल ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञेय किया जाएगा, जो आरक्षण की उसी श्रेणी के अंतर्गत इसे धारित करने की पात्रता रखता हो जिस हेतु सम्पत्ति को पूर्व में आवंटित किया गया हो। अन्तरण शुल्क का भुगतान अधिमूल्य (प्रीमियम) अथवा अन्तरण तारीख को प्रचलित लागू कलेक्टर गाइड लाइन दर (applicable guideline rate) की एक प्रतिशत की दर से इनमें से जो भी अधिक हो, भुगतान योग्य होगा।

### छह- अन्य निबंधन तथा शर्ते (other Terms and Conditions)

- 1. यदि बोली से संबंधित निबंधन तथा शर्तो में तथा "मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013" के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/कानूनी उपबन्धों में विसंगति उदभूत होती है तो अंतिम उल्लेखित उपबंध अभिभावी रहेंगे और पट्टाधारी पर बाध्यकारी होंगे।
- 2. यदि योजना के अधीन कोई विशेष निबंधन तथा शर्तो का विशदीकरण तत्संबंधी विज्ञापन में किया गया हो, वहां सम्पत्ति के प्राप्तकर्ता के लिये इन शर्तो के अलावा उपरोक्त उल्लिखित शर्ते भी बाध्यकारी होंगी।
- 3. निबंधन तथा शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर यदि विवाद उद्भूत होता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
- 4. जहां कहीं शब्द "प्राधिकरण (Authority)" का उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधि, नाम निर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती (permitted assignees) भी सिम्मिलित होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द "पट्टाधारी (Lessee) का उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सिम्मिलित होना माना जाएगा।
- 5. पंजीयन राशि नियत मूल्य का 10 प्रतिशत डी.डी / बैकर्स चैक द्वारा जोकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नाम देय होगा । आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। दिनांकः .......................

(आवेदक	के हस्ताक्षर)
नाम	
पूर्ण पता	
मो नं	

## लागू विधि के अनुसार मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांकों पर सम्यक रूप से नोटरी प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए शपथ-पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों (आस्तियों)(Assets) के लिए विहित)

1.	मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता / करती हूं कि :—
	मेरा नाम :
	पिता / पति का नाम :
	आयु :
	मासिक / वार्षिक आय :
	पता :
2. 3. 4. 5. 6. <b>दिनांक</b>	यहिक, आवेदन के अंतर्गत दी गई समस्त जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यहिक, मैंने निबंधन एवं शर्ते जिसमें नियत दर आधार पर प्राधिकरण की सम्पत्ति के व्ययन के लिए नियम सिम्मिलित हैं, भली भाति समझ लिया है और जो कि मुझे पूर्णतः स्वीकार है। यहिक, आवेदन के अंतर्गत कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्राधिकरण को मेरा आवेदन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा। यहिक, प्राधिकरण द्वारा मुझे नियत दर पर अथवा किसी विशेष योजना में, किसी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत जिसके लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई सम्पत्ति पूर्व में आवंटित नहीं व गई है।, यहिक, यह शपथ पत्र मेरे द्वारा ग्वालियर विकास प्राधिकरण की <b>आनन्द नगर योजना</b> में नियत दर के अनुसार इकाई क्रय हेतु इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन के अधीन रहते हुए, प्रस्तुत किया ज रहा है।
	ः सत्यापन ःः
<del>टे</del> त्रुग	मैंसं कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न इसे छिपाया गया है जो आज दिनांकस्यापित करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत् समें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न इसे छिपाया गया है जो आज दिनांक को सत्यापित किया गया।
ह तथा	सम काइ मा जानकारा न ता असत्य ह आर न इस छिपाया गया ह जा आज दिनाक का सत्यापित किया गया। अभिसाक्षी

- 1. कोई भी विषय वस्तु जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
- 2. किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया शपथ—पत्र मान्य नहीं होगा।